

असाधारण
EXTRAORDINARY

Daman 26th August, 2013, 4 Bhadra 1935 (Saka)

सं. : 35
No.

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE



सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

U. T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

U. T. Administration of Daman & Diu
Department of Panchayati Raj Institution
Office of the Secretary Panchayat Daman & Diu
Moti Daman.

No. 3/22/2010-11/DMN-PANCH/ELEC/(LB)/100

Dated : 26/08/2013

NOTIFICATION

In pursuance of order No. 3/22/2010-11/DMN-PANCH/(LB)/35 dated 03/06/2012 issued under Sub-Section (1) of Section 124 of the Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 (No. 4 of 2012) by the Administrator, Union Territory of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli and subsequent order of the Administrator, vide No. 3/22/2010-11/DMN-PANCH/(LB)/43 dated 18/06/2012 and in exercise of the powers conferred under Rule 14 of the Daman and Diu (Panchayat) (Election of Chairman and Vice-Chairman, President-cum-Chief Counsellor and Vice-President-cum-Counsellor) Rules, 1995, the Administrator, U. T. of Daman and Diu hereby publishes the name of the duly elected Chairman (Sarpanch) of Saudwadi Gram Panchayat, Diu as mentioned below, in pursuance of Election held on 27/06/2013 :

Mrs. Solanki Divali Ramji

—

Chairman (Sarpanch)

This is subject to the outcome of Writ Petition No. 4953 of 2013 before the Hon'ble High Court of Bombay.

By order and in the name of the
Administrator of Daman & Diu

Sd/-
(S. S. Sidhu)
Special Secretary (PRI)
Daman & Diu

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
पंचायती राज संस्थान विभाग
पंचायत सचिव का कार्यालय, दमण एवं दीव
मोटी दमण.

सं.3/22/2010-11/दमण-पंचा./निर्वा./ (एल.बी.)/100

दिनांक :- 26/08/2013

अ धि सू च ना

दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 (वर्ष, 2012 की संख्या-4) की धारा-124 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रशासक, संघ प्रदेश दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली द्वारा जारी किये गये आदेश सं.3/22/2010-11/दमण-पंचा./ (एल.बी.)/35, दिनांक 03/06/2012 के अनुसरण में एवं प्रशासक के परवर्ती आदेश सं.3/22/2010-11/दमण-पंचा./ (एल.बी.)/43, दिनांक 18/06/2012 के तहत और दमण एवं दीव (पंचायत) (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष -सह- मुख्य पार्षद एवं उपाध्यक्ष -सह- मुख्य पार्षद का निर्वाचन) नियमावली, 1995 के नियम-14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक, संघ प्रदेश दमण एवं दीव एतद्वारा साऊदवाड़ी ग्राम पंचायत, दीव के विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष (सरपंच) का नाम दिनांक 27/06/2013 को आयोजित चुनाव के अनुसरण में नीचे उल्लेखानुसार प्रकाशित कराते हैं :

श्रीमती सोलंकी दीवाली रामजी - अध्यक्ष (सरपंच)

यह माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष वर्ष, 2013 की रिट याचिका संख्या 4953 के परिणाम के अध्यक्षीन है ।

प्रशासक, दमण एवं दीव
के आदेश एवं नामानुसार
[एस. एस. सिद्ध]
(एस. एस. सिद्ध)

विशेष सचिव (पंचायती राज संस्थान)
